सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ०प्र० – 272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id.: registrarsidduniv@gmail.com

पत्र सं0– 760/सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2025 दिनांक– 05/04/2025

सेवा मे ,

प्राचार्य/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्ताओं के ऑनलाईन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–I/925497/2025/70–2099/28/2024 दिनॉक–01.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त **नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने** तथा **वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों एवं पाठ्यक्रमों** को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2025–26 के लिए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आनलाईन अनापत्ति प्रस्ताव हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी है। जिसे शासन के वेबसाईट– **https://henoc.upsdc.gov.in** पर भरा जा सकता है।

अतः समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि संलग्न समय सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य।
2. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालय के कालेज लागिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

महत्वपूर्ण

संख्या-I/925497/2025/70-2099/28/2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 01-04-2025

विषयः-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-आई/923088/2025-70 -2099/28/2025 दिनांक 29.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण समर्थ पोर्टल पर विकसित ऑनलाइन सम्बद्धता मॉडयूल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तत्क्रम में वर्तमान में NIC के पोर्टल के माध्यम से अनापत्ति (NOC) की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं अब समर्थ पोर्टल के ऑनलाइन सम्बद्धता माड्यूल (Online Affiliation Module) के माध्यम से सम्बद्धता (Affiliation) की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के दृष्टिगत शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.03.2025 द्वारा प्रिन्सिपल इन्वेस्टीगेटर (प्रोजेक्ट समर्थ), दिल्ली वि0वि0, नई दिल्ली को महाविद्यालयों की अनापत्ति एवं सम्बद्धता के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों (संख्या- 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27.09.2002, संख्या-585 मु0म0/सत्तर-2- 2005-

2(166)/2002 दिनांक 31.10.2005, संख्या-783 मु0म0/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 दिनांक 07.11.2006 एवं संख्या-418/सत्तर-2-2005-2(166)/2002 दिनांक 30.06.2014) की छायाप्रतियाँ समर्थ पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु संलग्न कर प्रेषित करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही दिनांक 30.03.2025 के पूर्व सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है-

(1) प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से उक्त हेतु Configuration एवं अन्य तकनीकी कार्यवाहियां पूर्ण करा लें।

(2) समस्त हित धारकों यथा-विश्वविद्यालय, जिलाधिकारी, निरीक्षण मण्डल, राज्य समन्वयक (State Co-Ordinator) के रूप में निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज आदि की लॉगिन आई०डी० एवं पासवर्ड जनरेट करा लें।

(3) उक्त सभी के प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास (Training & Orientation) हेतु कार्यवाही करा लें।

(4) Legacy Data आदि, यदि पोर्ट कराने की आवश्यकता हो तो उन्हें समयान्तर्गत पूर्ण करा लें।

(5) पोर्टल पर FAQ (Frequently asked questions) एवं सभी हितधारकों के मार्गदर्शन हेतु दिशा-निर्देश एवं Guided tutorial videos upload करा लें।

(6) शुल्क भुगतान हेतु Payment Gateway क्रियाशील करा लें।

(7) उक्त के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्य आवश्यक/अपेक्षित कार्यवाही ससमय सम्पन्न करा लें।

3- उपर्युक्त के क्रम में कृपया शासनादेश संख्या-1968/सत्तर-2-2024-16(11)/2017 टी0सी0 दिनांक 09.10.2024, संख्या-3261/सत्तर-2-2024-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 27.12.2024 एवं संख्या-I/881927/2025/70-2099/28/2024 दिनांक 17.02.2025 का भी संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

4- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 09.10.2024, 27.12.2024 एवं 17.02.2025 के माध्यम से निर्गत समय-सारिणी में उच्च शिक्षा हित में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा

1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	---
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	---
3.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	---
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विष्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	---
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि।	---
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तक। (1)अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2)तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 15 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2025 तक।
9.	विष्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 मई, 2025 तक।

10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2025 तक।

5- शासनादेश दिनांक 09.10.2024, 27.12.2024 एवं 17.02.2025 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्त समय-सारिणी का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri
Date: 01-04-2025 18:45:31
(सिपु गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.03.2025 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. डॉ0 संजीव सिंह, प्रिन्सिपल इन्वेस्टीगेटर (प्रोजेक्ट समर्थ), दिल्ली वि0वि0, नई दिल्ली को शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.03.2025 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.03.2025 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण के संबंध में कार्यवाही स्थगित करते हुए प्रकरण से संबंधित सूचना/अभिलेख डॉ0 संजीव सिंह, प्रिन्सिपल इन्वेस्टीगेटर (प्रोजेक्ट समर्थ), दिल्ली वि0वि0, नई दिल्ली को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन